



Neutral Citation No - 2026:AHC:28720

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1917

जगजीवन राम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : लल्लन प्रसाद पाल
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लल्लन प्रसाद पाल तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 27.10.1983 को उन्हें अनुरेखक के पद पर नियुक्त किया गया था और दिनांक 30.09.2025 को वे अधिवर्षिता प्राप्त हुए। तथापि, उन्हें पेंशन संबंधी परिलाभ संदत्त नहीं किए गए हैं।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की याचना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि पत्रावली के पृष्ठ 22 पर, जो रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक अभ्यावेदन है, से यह विदित होता है कि कोई जाँच लंबित है।
5. यथास्थिति चाहे जो भी हो, न्यायालय के मत में, प्रतिवादी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जौनपुर द्वारा पेंशन संबंधी परिलाभों के संदाय के संबंध में एक सुविचारित निर्णय लिया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या इस संबंध में कोई जाँच लंबित अथवा प्रत्याशित है।
6. उपर्युक्त प्रेक्षण के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

आशू

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"